संख्या-50/2021/1658ई-2/तेरह-2021-318146

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी ,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,

उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः03, सितम्बर, 2021

विषय- गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने विषयक शासनादेश सं.-18/2021/524ई-2/तेरह-2021-23/2009 दिनांक 23-02-2019 के प्रस्तर-13 में संशोधन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं.-जी-34दो-प्रा.डी.-163/बी-हैवी मोलासेस, दिनांक 19-08-2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत गन्ने के रस एवं शुगर सीरप से एथनॉल उत्पादन किये जाने हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों के निर्धारण से संबंधित शासनादेश दिनांक 23-02-2019 के प्रस्तर-13 में संशोधन किये जाने पर अनापत्ति देते हुए शासन के निर्णय से अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है ।

2- उक्त पर सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश सं.-18-2021-524ई-2/तेरह-2021-23/2009 दिनांक 23-02-2019 के प्रस्तर-13 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता हैः-

"किसी भी आसवनी को आबकारी आयुक्त द्वारा केन जूस से अल्कोहल उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र द्वारा गन्ना एवं चीनी विभाग की अनापत्ति सीधे गन्ना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

आयुक्त से प्राप्त की जायेगी।" शासनादेश दिनांक 23-02-2021 की शेष व्यवस्थाएं यथावत् रहेगी।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-50/ 2021/1658(1)/ई-2/तेरह-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव, चीनी उद्योग अनुभाग-1 उ.प्र शासन को उनके पत्र दिनांक 08.04.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(उमेश कुमार तिवारी)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।